न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 05 / 2017

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2017 / 00107

अपीलाण्ट	रेस्पोडेन्ट्स
मांगीदेवी पुत्री रामलाल, जाति बिश्नोई, निवासी–लाछीवाड़, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर	सरपंच ग्राम पंचायत लाछीवाड़ तहसील–सांचौर, जिला–जालोर राजस्थान

म्यूटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

तारीख रजु :– 03.11.2017

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद एव श्री चेतन कुमार पुरोहित उपस्थित।
2. रेस्पोडेण्ट बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 07.02.2025

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि वांके सरहद मौजा लाछीवाड़ में अपीलांट के स्व. दादा माला पुत्र चौथा के समय की पैतृक संपति का खेत खसरा नंबर 244 रकबा 4.73 हैक्टेयर का आया हुआ है। अपीलांट का बाय बर्थ हक व हिस्सा होने से तथा मुझ अपीलांट का पिता रामलाल डोडा पोस्त का आदी होने से तथा भूमि का विधिवत बंटवाड़ा करवाये बिना तथा जहां मुझ अपीलांट का काश्त कब्जा है उस जगह की भूमि अन्य किसी अजनबी व्यक्ति को बैचान करने पर आमदा होने पर मुझ अपीलांट ने मेरे हक हकूक हेतु एक राजस्व वाद मय स्थगन प्रार्थना–पत्र बअनवान मांगी देवी बनाम रामलाल का माननीय सहायक कलक्टर सांचौर की अदालत में पेश किया जो आज भी विचाराधीन है तथा माननीय सहायक कलक्टर सांचौर के न्यायालय से उक्त स्थगन प्रार्थना–पत्र में दैराने सुनवाई दिनांक 24.06.2015 को आदेश पारित किया गया कि वादग्रस्त आराजी खेत खसरा संख्या 244 रकबा 4.73 हैक्टेयर की अप्रार्थीगण मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। बावजूद रेस्पोडेन्ट सरपंच ग्राम पंचायत लाछीवाड़ द्वारा नामान्तरकरण संख्या 626 अन्य के नाम स्वीकृत कर कानूनी व वाक्याती भारी भूल की है तथा नामान्[illegible]या 626 अदालत का स्थगन होने के बावजूद स्वीकृत करने से [illegible] पर बैचाननामा के आधार पर खोला गया म्यूटेशन में [illegible] कब्जा या मौके पर रास्ता न होते हुए ग्राम पंचायत ने बिना जांच किये तथा [illegible] कब्जा के नामान्तरकरण संख्या 626 स्वीकृत करने में वाक्याती एवं कानूनी भारी भूल की है। जिस बैचाननामा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 626 ग्राम पंचायत लाछीवाड़ द्वारा स्वीकृत किया है उसमें ग्राम पंचायत द्वारा वाक्याती एवं कानूनी भारी भूल की है चुंकि भूमि रास्ता

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.24 16:15:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

प्रयोजनार्थ खरीद होना बताया गया है तो रास्ता प्रयोजनार्थ का म्यूटेशन स्वीकृत करने का ग्राम पंचायत को अधिकार न होकर तहसीलदार को अधिकार है। इस प्रकार ग्राम पंचायत लाछीवाड़ा द्वारा कानून को ताक में रखकर नामान्तरकरण संख्या 626 स्वीकृत करने में कानूनी एवं वाक्याती भारी भूल की है। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत बाबत् पूर्व में मुझ अपीलाण्ट को इल्म नहीं था किन्तु उक्त नामान्तरकरण के पश्चात खरीददार द्वारा अभी मुझे करीबन 20 दिन पूर्व धमकी दी कि हम यहां जबरन रास्ता निकालेगे तथा हमने उक्त भूमि का म्यूटेशन हमारे नाम स्वीकृत करवा दिया है जब मुझ अपीलाण्ट द्वारा पता करने पर व उक्त म्यूटेशन की दिनांक 16.10.2017 को नकल लेने पर पुख्ता जानकारी हुई। अपील जानकारी तारीख से अंदर म्याद पेश है। म्यटेशन अपील मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत लाछीवाड़ द्वारा स्वीकृत म्यूटेशन संख्या 626 विधि विरूद्व होने से म्यूटेशन संख्या 626 ग्राम लाछीवाड़ का निरस्त फरमावें।

अपील बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया, रेस्पोडेण्ट बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने पर उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

हमने अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनी, अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट का बाय बर्थ हक व हिस्सा होने से तथा मुझ अपीलांट का पिता रामलाल डोडा पोस्त का आदी होने से तथा भूमि का विधिवत बंटवाड़ा करवाये बिना तथा जहां मुझ अपीलांट का काश्त कब्जा है उस जगह की भूमि अन्य किसी अजनबी व्यक्ति को बैचान करने पर आमदा होने पर मुझ अपीलांट ने मेरे हक हकूक हेतु एक राजस्व वाद मय स्थगन प्रार्थना–पत्र बअनवान मांगी देवी बनाम रामलाल का माननीय सहायक कलक्टर सांचौर की अदालत में पेश किया जो आज भी विचाराधीन है तथा माननीय सहायक कलक्टर सांचौर के न्यायालय से उक्त स्थगन प्रार्थना–पत्र में दैराने सुनवाई दिनांक 24.06.2015 को आदेश पारित किया गया कि वादग्रस्त आराजी खेत खसरा संख्या 244 रकबा 4.73 हैक्टेयर की अप्रार्थीगण मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। बावजूद रेस्पोडेन्ट सरपंच ग्राम पंचायत लाछीवाड़ द्वारा नामान्तरकरण संख्या 626 अन्य के नाम स्वीकृत कर कानूनी व वाक्याती भारी भूल की है तथा नामान्तरकरण संख्या 626 अदालत का स्थगन होने के बावजूद स्वीकृत [illegible] काबिल निरस्त है। अतः म्यूटेशन संख्या 626 विधि विरूद्व होने [illegible] ग्राम [illegible] लाछीवाड़ का निरस्त फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.24 16:15:56 IST
Reason: SelfAttested

हमने अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनी [illegible] बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रकरण में पक्षकारन के मध्य सहायक कलक्टर सांचौर के न्यायालय में राजस्व वाद मय स्थगन प्रार्थना–पत्र विचाराधीन होना साबित है तथा अपीलाण्ट वंशावली अनुसार स्व. माला की

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

पुत्रवधु होना प्रतीत होने से तथा वाद के विचाराधीन के दौरा उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाने से अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है।

:– **आदेश** :–

अतः उपर्युक्त विवेचानुसार अपीलाण्ट की अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार की जाती है प्रकरण में पक्षकारान के मध्य सहायक कलक्टर सांचौर के न्यायालय में राजस्व वाद मय स्थगन प्रार्थना–पत्र विचाराधीन होना साबित है तथा अपीलाण्ट वंशावली अनुसार स्व माला की पुत्र वधु होने से तथा वाद विचाराधीन के दौरान उक्त नामान्तरकरण संख्या 626 निरस्त किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि उक्त नामान्तरकरण संख्या 626 बाद जांच स्वीकृत करावें। पालनार्थ तहरीर जारी हो।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **07.02.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Ku
Date: 2025.02.24 16:15:56 IST
Reason: SelfAttested